कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 819 / 2018 / 10–11 / 942 भोपाल, दिनांक 28-3-18

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः–रायसेन जिले में औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में पूर्व निर्मित औद्योगिक क्षेत्र को नियमितिकरण करने हेतु 16.268 हेक्टेयर वन भूमि औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्रक्रमांक / 6-MPC 010/2018-BHO/1619 दिनांक 21.03.2018

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण में 197.855 हे0 एवं 16.268 हे0 का प्रस्ताव समेकित (comsolidated) क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया, के संबंध में जानकारी चाही है।

आपके उपरोक्त पत्र के तारतम्य में म0प्र0 औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल से जानकारी चाही गई। म0प्र0 औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल द्वारा उनके पत्र दिनांक 27.03.2018 द्वारा जानकारी प्रस्तुत की है, जो कि संलग्न प्रेषित है।

उद्योग विभाग के अधिकारियों से चर्चा में उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उद्योग विभाग को वर्ष 1973 में 1102 हे0 भूमि कलेक्टर रायसेन द्वारा हस्तांतरित की गई थी। इस भूमि में 488 एकड़ संरक्षित वन भूमि थी। इस भूमि के संबंध में वन विभाग द्वारा कभी भी आपत्ति नहीं ली गई थी। बाद के वर्षों में वन विभाग द्वारा आपत्ति लेने पर वर्ष 2008 में 488 एकड़ अर्थात 197.855 हे0 के नियमितिकरण का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु भारत सरकार नई दिल्ली को भेजा गया था।

उद्योग विभाग के अधिकारियों से चर्चा में उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वर्ष 1983 में राज्य शासन द्वारा 16.268 हे0 भूमि उद्योग विभाग को आवंटित की गई थी। इस भूमि के संबंध में वन विभाग द्वारा कभी भी आपत्ति नहीं ली गई थी। बाद के वर्षों में वन विभाग द्वारा आपत्ति लेने पर वर्ष 2008 में इस आरक्षित वन भूमि 16.268 हे0 के साथ–साथ कुछ नई वनभूमि को प्रत्यावर्तित करने का प्रस्ताव वनमण्डलाधिकारी औबेदुल्लागंज को प्रस्तुत किया था। यह प्रस्ताव 120.590 हे0 का था। इस प्रस्ताव में दी गई गैर वन भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त न पायी जाने के कारण वनमण्डलाधिकारी औबेदुल्लागंज द्वारा आपत्ति ली गई। पुनः गैर वन भूमि वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराने पर

वह जांच में वन भूमि ही पाई गई। प्रकरण में विलम्ब होने पर मुख्य वन संरक्षक, भोपाल ने इसे निरस्त कर दिया। बाद के वर्षों में राज्य शासन स्तर से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव 120.590 हे0 का न लिया जाकर वास्तविक रूप से उद्योग विभाग के पास कब्जे की 16.268 हे0 भूमि हेतु तैयार किया जावे। तदनुसार प्रस्ताव ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया।

उद्योग विभाग के अधिकारियों द्वारा मुझे चर्चा में यह अवगत कराया गया कि तत्समय वन विभाग के अधिकारियों से चर्चा हुई थी, जिसमें वन विभाग के अधिकारियों द्वारा यह कहा गया था कि 488 एकड़ (197.855 हे0) भूमि वर्ष 1980 के पूर्व की है अतः इस प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है एवं 16.268 हे0 भूमि वर्ष 1980 के पश्चात की है। अतः इस प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना बनाई जायेगी। इस प्रकार वर्ष 2008 में दोनों भूमियों के पृथक–पृथक प्रस्ताव उद्योग विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये थे। अतः अनुरोध है कि प्रकरण में स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

28/3/18

(सुनील अग्रवाल)

पृ.क्रमांक/एफ–5/819/2018/10–11/943 भोपाल, दिनांक 28/3/18

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, भोपाल वृत्त भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल औबेदुल्लागंज, मध्यप्रदेश।
3. महाप्रबंधक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, तवा कॉम्पलेक्स, बिट्ठन मार्केट, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

28/3/18

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल